

'संता और बंता के चुटकुले सिखों को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा'

नई दिल्ली, 2 नवंबर। दिल्ली रिश्वत गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डोएसजीएमसी) ने सिखों पर आधारित चुटकुलों पर रोक लगाने की मांग संबंधी जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई के लिए स्वीकार किए जाने का स्वागत करते हुए सोमवार को कहा कि 'संता-बंता' के चुटकुले इन अल्पसंख्यक समुदाय को बदनाम करने के लिए व्यवस्थित ढंग से रची गई साजिश का हिस्सा है।

डोएसजीएमसी के अध्यक्ष मंजोत सिंह जीके ने संवाददाताओं से कहा, 'सिख समुदाय को बदनाम करने के लिए व्यवस्थित ढंग से राजिश रची गई और संता बंता जैसे चुटकुले इसी साजिश का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे चुटकुलों पर रोक लगाने की मांग करने वालों याचिका

पर सुनवाई करने के लिए तैयार हुआ है हम इसका स्वागत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम पर उचित फैसला होगा।' उन्होंने कहा, 'सिखों ने देश के लिए बहुत बलिदान दिया और देश के विकास में उनकी बड़ी भागीदारी है। तमाम कुबानियाँ और योगदान के बावजूद हमारा मजाक बनाया जाता है। ऐसे चुटकुलों से सिखों की भावनाएँ आहत होती हैं।' डोएसजीएमसी प्रमुख ने दावा किया कि इस तरह के चुटकुलों से जुड़ी वेबसाइटें सैकड़ों करोड़ रुपए का कारोबार करती हैं।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने हरद्वार और चौधरी की ओर से समर उम जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए बीते शुक्रवार को सहमति जताई, जिसमें ऐसे चुटकुलों पर रोक लगाने

के लिए उचित व्यवस्था की मांग की गई है। जोके ने देश में 'बड़ रही

अराजिण्णता' के मुद्दे पर कांग्रेस

प्रणव मुखर्जी से मुलाकात करने को लेकर उन पर निशाना साधा।

यूप्लैक्स लिमिटेड

CIN : L74890DL1986PLC032166
राजिस्टर्ड ऑफिस : 305, तीसरी मंजिल, मानीट कॉन्व, पार्थिव एजेंस, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048
फोन : +91-11-26440917, 26440925, फैक्स : +91-11-26216922, वेबसाइट : www.uflexind.com, ईमेल : flexeeo@vsnl.net

30.09.2015 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के दौरान अनकेक्षित समेकित वित्तीय परिणाम

Table with 7 columns: क्र.सं, विवरण, 30.09.2015 को समाप्त तिमाही (अनकेक्षित), 30.06.2015 को समाप्त तिमाही (अनकेक्षित), 30.09.2014 को समाप्त तिमाही (अनकेक्षित), 30.09.2015 को समाप्त छमाही (अनकेक्षित), 30.09.2014 को समाप्त छमाही (अनकेक्षित). Rows include items like 1. परिधानों में अथ, 2. व्याय, 3. अन्य आभूषण, etc.

भाग-2

Table with 7 columns: क्र.सं, विवरण, 30.09.2015 को समाप्त तिमाही, 30.06.2015 को समाप्त तिमाही, 30.09.2014 को समाप्त तिमाही, 30.09.2015 को समाप्त छमाही, 30.09.2014 को समाप्त छमाही. Rows include 1. सार्वजनिक सेवाएं, 2. विकासकारी तथा विकासकारी समूह आदि.

विवरण 30.09.2015 को समाप्त तिमाही

Table with 2 columns: क्र.सं, विवरण, 30.09.2015 को समाप्त तिमाही, 31.03.2015 को समाप्त तिमाही. Rows include 1. निवेशों की विवरण, 2. निवेशों के अंतर्गत में अक्षित, 3. निवेशों के योग्य भाग, etc.

आस्तियों एवं देयताओं का समेकित विवरण

Table with 7 columns: क्र.सं, विवरण, 30.09.2015 को समाप्त तिमाही, 31.03.2015 को समाप्त तिमाही. Rows include 1. इन्वेंट्री एवं देयताएं, 2. इन्वेंट्री एवं देयताएं, 3. अन्य देयताएं, etc.

1. मुद्रास्फीय अतिसर का अनुपात 30.09.2015 को 30.09.2014 के मुद्रास्फीय अतिसर के मुकाबले 100.00% से बढ़कर 100.00% हो गया है।

2. 30.09.2015 को समाप्त तिमाही तक प्रचालित हुए प्रकल्पों की संख्या 11 है।

3. 30.09.2015 को समाप्त तिमाही तक प्रचालित हुए प्रकल्पों की संख्या 11 है।

4. 30.09.2015 को समाप्त तिमाही तक प्रचालित हुए प्रकल्पों की संख्या 11 है।

5. 30.09.2015 को समाप्त तिमाही तक प्रचालित हुए प्रकल्पों की संख्या 11 है।

6. 30.09.2015 को समाप्त तिमाही तक प्रचालित हुए प्रकल्पों की संख्या 11 है।

7. 30.09.2015 को समाप्त तिमाही तक प्रचालित हुए प्रकल्पों की संख्या 11 है।

8. 30.09.2015 को समाप्त तिमाही तक प्रचालित हुए प्रकल्पों की संख्या 11 है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण/केन्द्र सरकार का, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11- 'क' के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना - 2021/जोन 'के' की क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधन के संघर्ष में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास रावन, नई दिल्ली - 110023 को लिखित रूप में भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन नम्बर भी दें, जो पटनीय हो।

Table with 4 columns: अवस्थिति, क्षेत्रफल, भूमि उपयोग दि.सं.सं. - 2021, सीमाएं. Rows include 1. सार्वजनिक उपयोगिता, 2. आवासीय उपयोग, etc.

प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला प्लान विशेषण के लिए उपयुक्त अवधि के दौरान सभी कार्या-दस्तावेजों को, उप निदेशक (मुख्य योजना) कार्यालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 305 मनीट कॉन्व, विकास मीनार, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा/प्लान दि.सं. की वेबसाइट जहाँ पर www.dcla.org.in पर भी उपलब्ध है।

काइल सं. : एक.3/12/2014/एमपी

दिनांक : 03.11.2015

स्थान : नई दिल्ली

डीसीए की वेबसाइट : www.dcla.org.in पर उपलब्ध प्लान की सं. : 800110332 संपर्क करें

भाग Financial Assistance Section

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

Social Welfare, Govt. of NCT of Delhi

दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002

Delhi-2 email-fasds@gsail.com

सामाजिक संचालन

व्यवस्था/ विकलांग पेंशन लाभार्थियों के लिए

पेंशन योजना के लाभार्थी हैं?

पेंशन नहीं पाए गए, उनकी पेंशन अक्टूबर 2014 से रोक दी गई

आप से अनुरोध है कि आप अपने संबंधित जिला समाज कल्याण

कार्यालय-शुक्र- प्रातः 10.00 से 2.00 बजे के बीच जाकर उपस्थित हों व

आपका जमा कराएँ, ताकि आपके वर्तमान पते पर आपको जांच करवा कर

20 नवंबर 2015 है, इसके बाद आपकी पेंशन निरस्त कर दी

और रिक्त स्थान होने पर ही आप आवेदन कर पाएँगे।

आपका पता दिखाता हो, यदि आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है,

आपको के लिए)

आपको बताया जाता है कि, आर.बी.आई. के आदेशानुसार, आप अपने आधार

कार्ड आधार नंबर से जोड़ा जा सके, ऐसा करने से आपकी पेंशन सुचारु

रूप में जिला कार्यालयों के पते व फोन नं.

का- प्रातः- 10.00-2.00 बजे के बीच)

फोन-23071093

का- प्रातः- 10.00-2.00 बजे के बीच)

फोन-23071093

का- प्रातः- 10.00-2.00 बजे के बीच)

फोन-23071093

का- प्रातः- 10.00-2.00 बजे के बीच)

फोन-23071093

का- प्रातः- 10.00-2.00 बजे के बीच)

फोन-23071093

का- प्रातः- 10.00-2.00 बजे के बीच)

फोन-23071093

का- प्रातः- 10.00-2.00 बजे के बीच)

फोन-23071093

का- प्रातः- 10.00-2.00 बजे के बीच)

फोन-23071093

का- प्रातः- 10.00-2.00 बजे के बीच)

फोन-23071093

का- प्रातः- 10.00-2.00 बजे के बीच)

फोन-23071093

का- प्रातः- 10.00-2.00 बजे के बीच)

फोन-23071093

का- प्रातः- 10.00-2.00 बजे के बीच)

फोन-23071093

का- प्रातः- 10.00-2.00 बजे के बीच)

फोन-23071093

का- प्रातः- 10.00-2.00 बजे के बीच)

फोन-23071093

का- प्रातः- 10.00-2.00 बजे के बीच)

फोन-23071093

का- प्रातः- 10.00-2.00 बजे के बीच)

फोन-23071093

का- प्रातः- 10.00-2.00 बजे के बीच)

फोन-23071093

का- प्रातः- 10.00-2.00 बजे के बीच)

फोन-23071093

का- प्रातः- 10.00-2.00 बजे के बीच)

फोन-23071093

का- प्रातः- 10.00-2.00 बजे के बीच)

फोन-23071093

का- प्रातः- 10.00-2.00 बजे के बीच)

फोन-23071093

का- प्रातः- 10.00-2.00 बजे के बीच)

फोन-23071093

का- प्रातः- 10.00-2.00 बजे के बीच)

फोन-23071093

का- प्रातः- 10.00-2.00 बजे के बीच)

फोन-23071093

का- प्रातः- 10.00-2.00 बजे के बीच)

फोन-23071093

का- प्रातः- 10.00-2.00 बजे के बीच)

फोन-23071093